"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 293] रायपुर, सोमवार, दिनांक 25 जुलाई 2016—— श्रावण 3, शक 1938

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ-15-04/गृह-सी/2016. — पत्रकारों पर होने वाली ज्यादतियों को रोकने तथा उनके विरुद्ध चल रहे आपराधिक प्रकरणों का उच्च स्तरीय पुनरावलोकन एवं संबंधित विषयों में शासन के बीच आवश्यक समन्वय स्थापित करने हेतु राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार समिति का गठन करता है :-

1.	सचिव, छ. ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग,	-	अध्यक्ष
2.	सचिव, छ. ग. शासन गृह (पुलिस) विभाग,	-	सदस्य
3.	संचालक, जनसम्पर्क विभाग,	-	सदस्य सचिव
4.	पुलिस मुख्यालय के अपराध अनुसंधान शाखा के	-	सदस्य प्रभारी अधिकारी
5.	श्रीमती मणिकुन्तला बोस, सम्पादक, दैनिक दण्डकारण्य समाचार जगदलपुर (बस्तर) छ. ग.	-	सदस्य
6.	श्री रूचिर गर्ग, सम्पादक, दैनिक नवभारत रायपुर	-	सदस्य

7. समिति द्वारा संबंधित रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को भी आवश्यकतानुसार आहुत किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.